द्विवर्षीय बी.एड्. कार्यक्रम

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आमुख, प्रवेश विधान एवं उद्देश्य	1-2
2.	पाठ्यवस्तु – पाठमालाएँ – अनिवार्य एवं ऐच्छिक	3
3.	परीक्षा – विधान – नियम	4
4.	शिक्षार्थन (इंटर्नशिप्)	5-8
5.	पाठमालाएँ एवं मूल्यांकन योजना	9-10
6.	पाठमालाएँ – उनके ढाँचे 1 से 10 (अनिवार्य)	11-36
7.	ऐच्छिक पाठमालाओं की रूपरेखाएँ	37-48
8.	परिशिष्ट - 1 – अध्यापन पद्धतियाँ	49-86
9.	परिशिष्ट - 2 – संदर्भ ग्रंथ	87-99

* * *

उच्च शिक्षा और शोध संस्थान

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

द्विवर्षीय बी.एड्. सत्र की पाठ्यवस्तु - 2015-16 से लागू
(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के 2014 के अधिनियमानुसार)

1. आमुख

सामान्यतः 'बी.एड़.' नाम से जाना जानेवाला स्नातक स्तर का यह शिक्षा का कार्यक्रम एक व्यावसायिक सत्र है जो उच्च प्राथमिक या मध्य स्तरीय (6 से 8 तक की कक्षाएँ), माध्यमिक स्तर (9वीं तथा 10वीं) और प्रवर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) के लिये अध्यापकों को तैयार करता है। यह कार्यक्रम सभा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त अपने अंगभूत बी.एड़. महाविद्यालयों द्वारा चलाती है।

2. कालावधि तथा कार्य के दिन :

2.1 कालावधि :– यह कार्यक्रम दो शैक्षिक वर्ष का होगा।

2.2 कार्य के दिन :–

अ) प्रवेश तथा परीक्षाओं की अवधि को छोड़, हरेक शैक्षिक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्य के दिन हों।

आ) संस्था एक सप्ताह में न्यूनतम 36 घंटे काम करेगा (पाँच या छः दिन) जब सभी प्राध्यापकों तथा छात्राध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्यतः होनी चाहिये जिससे परस्पर संपर्क, सलाह, मार्गदर्शन संभाषण तथा परामर्श, जब-जब आवश्यक हो, के लिए उनकी उपलभ्यता सुनिश्चित हो जाय।

इ) क) छात्राध्यापकों के लिए 80% न्यूनतम हाजिरी समूचे सत्र कार्य तथा प्रयोगों के वास्ते होना है और विद्यालय में भीतरी प्रशिक्षणार्थी अध्यापक के रूप में 90% होना है।

ख) संबद्ध प्राचार्य की अनुशंसा पर 10% तक की हाजिरी की कमी को माफ़ करने का अधिकार कुलसचिव को होगा।

3. प्रवेश संख्या, अर्हता, प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क :

3.1 50 छात्रों का एक मूलभूत एकक होगा। अधिकतम दो एकक होंगे।

3.2 अर्हता :– विश्वविद्यालय धनसहाय आयोग से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या भारतीय विश्वविद्यालयों से समकक्षता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय का स्नातक अथवा स्नातकोत्तर

उपाधिधारक प्रवेश के लिए अर्ह होगा बशर्ते कि उसने +2 स्तर पर हिंदी भाषा का अध्ययन किया हो और

अ) दोनों में से कोई एक उपाधि में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया हो।

आ) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थियों के लिए 45% अंक पर्याप्त हैं।

इ) राज्य सरकार की अधिसूचनानुसार आरक्षित वर्गों के लिए स्थान दिया जायेगा।

3.3 प्रवेश विधान :

उपर्युक्त 3.2 (अ) में उल्लेखित परीक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) में प्राप्त अंकों की गुणवत्ता के अथवा द.भा.हिं.प्र. सभा द्वारा निर्धारित अन्य कोई विधान के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

4. पाठ्यक्रम के निर्दिष्ट उद्देश्य : यह करना है :

1. अध्यापकों को छात्रों की मनोवृत्ति का बोध।
2. सामाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में उनकी सहायता।
3. अध्यापन-कार्य, पाठ्यक्रम विकास, उसका कार्य संपादन एवं मूल्यांकन के सिद्धांतों से अवगत।
4. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर उन्हें अध्यापन करने के विषयों का शिक्षा-शास्त्रीय विश्लेषण करने सक्षम।
5. परामर्श एवं मार्गदर्शन के सिद्धांतों के कौशलों का विकास।
6. ज्ञान निर्माण हेतु छात्रों में सर्जनात्मक सोच-विचार को बढ़ावा देने समर्थ।
7. शिक्षा प्रणाली तथा कक्षा-कक्ष की दशा पर प्रभाव डालने वाले घटक एवं शक्तियों से अवगत।
8. विशेष गुटों के छात्रों के शैक्षिक जरूरतों से परिचय।
9. समुदाय के संसाधनों का शैक्षणिक निवेश के रूप में इस्तेमाल करने सक्षम।
10. संप्रेषण कौशलों को विकसित कर आधुनिक सूचना तंत्रज्ञान का उपयोग करने समर्थ।
11. व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करके कक्षा-कक्ष कार्य संपादन में नवाचारों का उपयोग।
12. आजन्म सीखते रहने की चाह जगाना और उसका अभ्यास।

5. पाठ्यवस्तु का ढाँचा :

बी.एड़. पाठ्यवस्तु में निम्नोक्त समाविष्ट हैं :

अ. शिक्षा के परिप्रेक्ष्य :

1.	पाठमाला–1	बाल्यावस्था एवं वृद्धि
2.	पाठमाला–2	समसामयिक भारत और शिक्षा
3.	पाठमाला–3	अधिगम एवं अध्यापन
4.	पाठमाला–6	लिंग, विद्यालय एवं समाज
5.	पाठमाला–8	ज्ञान एवं पाठ्यक्रम
6.	पाठमाला–10	समावेशी विद्यालय सृष्टि

आ. पाठ्यक्रम एवं अध्यापन कार्य अध्ययन :

7.	पाठमाला–4	पाठ्यक्रम के आरपार भाषा
8.	पाठमाला–5	शास्त्रों एवं विषयों का बोध
9.	पाठमाला–7अ और 7आ	स्कूली विषयों का अध्यापन
10.	पाठमाला–9	सीखने हेतु मूल्यांकन
11.	पाठमाला–11	ऐच्छिक पाठमाला। *

* निम्नलिखित में से कोई एक :

1. विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन
2. मानवाधिकार शिक्षा
3. क्रिया शोध
4. मार्गदर्शन एवं परामर्श

* विद्यालय में शिक्षार्थन।

* व्यावसायिक सामर्थ्य उन्नयन के लिए पाठमाला

पाठमाला व्यासाउ–1	चुनिंदा अध्यापन पद्धतियों पर की पुस्तकें पढ़ना और उनपर चिंतन करना (½)
पाठमाला व्यासाउ–2	शिक्षा में नाटक एवं कला (½)
पाठमाला व्यासाउ–3	सूचना-संप्रेषण प्रौद्योगिकी का विवेचनात्मक बोध (½)
पाठमाला व्यासाउ–4	स्वयं का बोध (आत्मबोध) (शिक्षक की अस्मिता विकास) (½)

सूचना : (अ) (½) आधे प्रश्न-पत्र का संकेत है जिसे हफ्ते के कालांश का आधा समय और पूर्ण प्रश्न-पत्र के निर्धारित आधे अंक विनियोजित हैं

(आ) उपरोक्त ऐच्छिक विषय (4 + व्यावसायिक / कार्य शिक्षा) में से कोई एक अतिरिक्त अध्यापन कार्य के तौर पर (7-अ और आ को छोड़ माध्यमिक स्तर पर) या वही स्कूली विषय उच्च माध्यमिक स्तर पर हो सकता है।

6 – प्रत्येक वर्ष के अंत में विश्वविद्यालयीय परीक्षा (बाह्य) होगी।

7 (अ) प्रश्न-पत्र नमूना

(आ) समय तीन घंटे

प्रश्न संख्या 1 (30 अंक)	15 अंक वाले 2 प्रश्न-प्रत्येक के लिए एक आंतरिक विकल्प होगा	दीर्घोत्तर
प्रश्न संख्या 2 (32 अंक)	4 के उत्तर लिखना है- प्रत्येक के लिए एक आंतरिक विकल्प होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक होंगे	लघूत्तर
प्रश्न संख्या 3 (8 अंक)	प्रत्येक उत्तर एक वाक्य में देना होगा 1 अंक वाले 8 प्रश्न होंगे	अतिलघूत्तर

8 – उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अंक :

ग्रूप (अ) विश्वविद्यालयीय (बाह्य) परीक्षा में 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा (70 में 28 अंक/35 में 14) और आंतरिक अंक जोड़कर कुल 45% एकीकृत अंक होना चाहिए। ग्रूप (आ) अध्यापन पद्धतियों के प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक।

9 – छूट :

उपरोक्त नियम 8(आ) के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय/ कुछ विषयों में निर्धारित अंक प्राप्त करने में असफल होकर अनुत्तीर्ण हो जाये तो उसे मात्र उस विषय/उन विषयों में पुनः परीक्षा लेनी होगी।

10 – उत्तीर्ण 'परिक्षार्थियों' का वर्गीकरण :

45% से 49% – उत्तीर्णता श्रेणी

50% से 59% – द्वीतीय श्रेणी

60% से 74% – प्रथम श्रेणी

75% से अधिक – विशिष्टता सहित प्रथम श्रेणी

सूचना : उपरोक्त 8(अ) के अनुसार प्राप्त अंक और श्रेणी एवं 8(आ) और अन्य प्रयोग-कार्य के अंक अंकपत्र में पृथक्-पृथक् दिखाए जायेंगे।

11 - लिखित अनुरोध पर अंकों की पुनर्गिनती/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है:

12 - (अ) विद्यालय में शिक्षार्थन

छात्राध्यापकों को वास्तव में दो बार किसी निर्दिष्ट विद्यालय में रखा जायेगा – पहले चार सप्ताह की अवधि और दूसरी बार सोलह सप्ताह की अवधि के लिए। प्रथम अल्पकालीन अवधि में वे विद्यालय-संलग्न की तरह रहेंगे और सीखने-सिखाने का प्रभावन प्राप्त कर लेंगे। दूसरी अवधि तक के अंतराल में अपने अनुभवों को बांटने और शिक्षक-अनुदेशक से चर्चा कर कई विषयों का स्पष्टीकरण पाकर उन्हें आत्मसात कर लेंगे। दूसरी बार 16 हफ्तों क अवधि के लिए – करीब चार सप्ताह के बाद–विद्यालय में 'नियोजन' पर अध्यापक का कार्य करेंगे। विद्यालय के समूचे कार्य-कार्यक्रमों में वे प्रतिभागी होंगे और अध्यापक वृत्ति का एहसास कर सकेंगे। इस संपूर्ण काल में वे स्कूल के हर एक पहलू का अध्ययन कर सकेंगे।

छात्राध्यापक सप्ताह के पांच दिन इस तरह स्कूल में रहेंगे और छटे दिन कालिज में उपस्थित रहेंगे। यह विद्यालयीन अनुभव दूसरे वर्ष में आयोजित होगा।

(आ) शिक्षार्थन के लिए कुल अंक

*	प्रथम वर्ष शिक्षार्थन पूर्व	–	100 अंक
*	द्वितीय वर्ष शिक्षार्थन पूर्व	–	50 अंक
*	द्वितीय वर्ष का शिक्षार्थन	–	150 अंक
*	वार्षिक प्रयोगिक पाठ 100 + 100	–	200 अंक

13 – प्रथम वर्ष (अ) : दो सप्ताह का शिक्षार्थन पूर्व :

निर्धारण निम्नोक्त गतिविधियों पर आधारित होगा :

* सूक्ष्म अध्यापन (5 कौशल - दोनों अध्यापन विषयों में) प्रत्येक कौशल 2 अंकों का)	2x5=10
* पाठयोजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना और प्रदर्शन पाठ	2½x4=10
* (अभ्यास-पाठ देने प्रारंभ करने से पहले) किसी स्थायी अध्यापक का अध्यापन कार्य एक सप्ताह तक निरीक्षण	2x5=10
* विषय-वस्तु (पाठों का) विश्लेषण और कार्य करने का विधान (प्रत्येक अध्यापन विषय में दत्त कार्य)	2x5=10
* अध्यापन-अध्यायन सामग्री तैयार कर उसे सुरक्षित रखना (जो कि विद्यालय के स्थायी शिक्षकों के लिए उपयुक्त संसाधन हो जाये।) – हर विषय में अअसा	2x5=10
कुल अंक	50

14 – प्रथम वर्ष (आ) : दो सप्ताह का शिक्षार्थन पूर्व :

* तीन अलग-अलग पद्धतियों के प्रकार पाठयोजनाएँ तैयार करना–छात्राध्यापक अपने ही पद्धतियाँ विकसित कर सकते हैं (संयोजन करके) शिक्षक अनुदेशक की सहायता से	2x3x3=12
* अपने दोनों अध्यापन पद्धतियों के विषयों के चार-चार पाठ किसी नियत विद्यालय में दें। हरेक पाठ के बाद विषय अध्यापक के साथ अपने अध्यापन रीति के बारे में चर्चा करेंगे। सुझाओं पर गैर करेंगे।	3x4=12
* सहपाठी गिरोह में दो-दो पाठ (दो पाठ योजनाएँ)	2x4=8
* सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन – पाठ्यचर्या और अध्यापन रीति के लिए पुनर्बलन	2x4=8
* विद्यालय की दैनंदिन गतिविधियों का निरीक्षण–कोई दो गतिविधियों के बारे में एक गहन और विवरणपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करना	5x2=10
कुल अंक	50

*** विद्यालय की प्रस्तावित गतिविधियाँ**

* सांस्कृतिक/साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन-खेल/क्रीडाओं का।
* समय-सारिणी बनाना।
* प्रभात सभा में उपस्थित रहकर उसका संचालन करना।
* अनुशासन पालन (विद्यालय में)।
* स्कूल अभिलेखों का निर्वाह।
* मार्गदर्शन एवं परामर्श।
* विज्ञान मेला, प्रदर्शनी, विज्ञान क्लब, निसर्ग अध्ययन का आयोजन।
* स्कूल पुस्तकभंडार का निर्वाह।
* स्कूल के विकास में समुदाय का सहयोग जुटाना।
* स्कूल का नक्शा बनाना।
* बागबानी/वाटिका।
* जल व्यवस्था का निर्वाह।
* सामाजिक बुराइयाँ और निषिद्ध कर्मो का ज्ञान।
* विद्यालय से निदेशित अन्य कोई।

16 – द्वितीय वर्ष (अ) दो सप्ताह का शिक्षार्थन पूर्व :

* उपरोक्त 15 में की दो गतिविधियों पर (या अन्य कोई) प्रतिवेदन तैयार करना।	5x2=10
* अपने अनुभव, निरीक्षण और विचारों का छात्राध्यापक उल्लेख करते हुए एक पत्रिका तैयार करेंगे।	5
* समाज कल्याण के किसी योजना में काम करके उस पर एक प्रतिवेदन।	5
* स्कूल के किसी पहलू पर एक व्यापक क्रिया योजना तैयार करना।	5
* पाठ योजना (जो पढ़ाये गये), उपयोग किये गये संसाधन, निर्धारण के साधन, छात्रों का पुनर्बलन - का अभिलेख रखना।	5
* शिक्षार्थन के समय किये गये कार्यों की प्रदर्शनी आयोजित करना – छात्रों की, प्रधानाध्यापकों/ अध्यापकों/पर्यवेक्षकों की प्रतिक्रियों का विवरण।	5
* शैक्षणिक प्रदर्शिनी	5
* शांति के परिप्रेक्ष्य में किसी पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण	10
कुल अंक	50

17 – द्वितीय वर्ष (आ) दस सप्ताह का शिक्षार्थन :

(अध्यापन अभ्यास एवं प्रायोगिक कार्य)

* 20+20 पाठों का कक्षा-कक्षों में अध्यापन कार्य	40x2=80
* कोई दो पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रतिभागी होना और प्रतिवेदन तैयार करना	2x2=4
* किसी भी विषय के 20 पाठों का निरीक्षण और प्रतिवेदन	10
* किसी भी विषय के 05 पाठों का मूल्यांकन।	5
* निदानात्मक परख तैयार और संचालन कर के विश्लेषण करना और बाद में उपचारात्मक अध्यापन करना।	5
* कक्षा-कक्ष आधारित क्रिया योजना तैयार करना।	10
* 'कक्षा-कक्ष के बाहर' वाले स्कूल की क्रियाओं में प्रतिभागी होना और कार्यक्रम आयोजित करना।	5
* विद्यालय का कालदर्शक, समय सारिणी और निर्धारण योजना लेख (का अध्ययन कर के) तैयार करना।	10
* पाठ-सहायक सामग्री की विद्यालय में प्रदर्शिनी	3+3=6
कुल अंक	150

सूचनाएँ :

1. शिक्षार्थन में / अध्यापन-अभ्यास पाठों में और अन्य आंतरिक कार्यों में कोई छात्राध्यापक उत्तीर्णता के लि आवश्यक अंक प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसे दोबारा संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा।
2. अध्यापन विषय वे ही होंगे जिसे प्रार्थी ने बी.ए./बी.एस.सी. अथवा एम.ए./एम.एस.सी. में उन विषयों क न्यूनतम दो वर्षों के लिए अध्ययन किया हो।
3. बी.ए./एम.ए. में राजनीति शास्त्र या सार्वजनिक प्रशासन विषयों का अध्ययन किया हुआ प्रार्थी 'सामाजि अध्ययन' विषय अध्यापन विषय के रूप में ले सकता है।

आंतरिक अंक निर्धारण के लिए अनुदेश

I. (1) जिन पाठमालाओं के लिए आंतरिक निर्धारण के लिए 30 अंक हैं –

यथा, पाठमाला 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 और 11; और

(2) जिन पाठमालाओं के लिए आंतरिक निर्धारण के लिए 15 अंक हैं –

यथा, पाठमाला 4, 5, 7अ, 7आ(1), 7अ, 7आ(2)

उनका परिकलन इस तरह होगा :

1.	एक प्रदत्त कार्य	- अंक	-	10	05
*2.	दो परीक्षण	- अंक	-	35	35
		समय	-	1½ घंटा	

* (पृष्ट 9 पर सूचित प्रतिमान के अनुसार)

गणना : 10 x प्राप्तांक ÷ 35 = ... अंक

II.	व्यासाउ के लिए :	(अ)	प्रतिवेदन के लिए	:	30 अंक
		*(आ)	साक्षात्कार के लिए	:	20 अंक
			कुल	:	50 अंक

* प्रश्न संबद्ध व्यासाऊ के प्रतिवेदन पर आधारित हों।

III. शिक्षार्थन/शिक्षार्थन पूर्व – जैसे अलग से सूचित किया गया है।

द्विवर्षीय बी.एड् कार्यक्रम

अध्ययन की पाठमालाएँ एवं मूल्यांकन योजना

प्रथम वर्ष

पाठमाला	शीर्षक	अधिकतम अंक		
		आंतरिक	बाह्य	कुल
1	बाल्यावस्था एवं वृद्धि	30	70	100
2	समसामयिक भारत एवं शिक्षा	30	70	100
3	अधिगम एवं अध्यापन	30	70	100
4	पाठ्यक्रम के आरपार भाषा (½)	15	35	50
5	शास्त्रों एवं विषयों का बोध (½)	15	35	50
* 7अ	स्कूली विषय का अध्यापन, भाग–I (½)	15	35	50
* 7आ	स्कूली विषय का अध्यापन, भाग–I (½)	15	35	50
8	ज्ञान एवं पाठ्यक्रम	30	70	100
9	सीखने के लिए मूल्यांकन	30	70	100
व्यापाउ-1	चुनिंदा अध्यापन पद्धतियों की पुस्तकों का वाचन एवं चिंतन	50	-	50
व्यापाउ-2	शिक्षा में नाटक एवं कला (½) (गतिविधियों पर आधारित प्रदत्त कार्य)	50	-	50
शिक्षार्थन पूर्व	शिक्षार्थन पूर्व गतिविधियाँ	100	-	100
	कुल	410	490	900

* कृपया परिशिष्ट 1 देखिए

द्वितीय वर्ष

पाठमाला	शीर्षक	अधिकतम अंक		
		आंतरिक	बाह्य	कुल
6	लिंग, विद्यालय एवं समाज	30	70	100
7अ	स्कूली विषय का अध्यापन भाग-2 (½)	15	35	50
7आ	स्कूली विषय का अध्यापन भाग-2 (½)	15	35	50
10	समावेशी विद्यालय सृष्टि	30	70	100
11	ऐच्छिक पाठमालाएँ (कोई एक) अ) विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन आ) मानवाधिकार शिक्षा इ) क्रिया शोध ई) मार्गदर्शन एवं प्रशासन	30	70	100
व्यासाउ-3	सूचना-संप्रेषण प्रौद्योगिकी का विवेचनात्मक बोध (½) (गतिविधियों पर आधारित प्रदत्त कार्य)	50	-	50
व्यासाउ-4	आत्मबोध (अस्मिता विकास) (½) (गतिविधियों पर आधारित प्रदत्त कार्य)	50	-	50
शिक्षार्थन पूर्व	—	50	-	50
शिक्षार्थन	—	150	-	150
वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा				
पाठमाला- 7अ	अध्यापन पद्धति-1	-	100	100
पाठमाला-7आ	अध्यापन पद्धति-2	-	100	100
	कुल	420	480	900

*** कृपया परिशिष्ट 1 देखिए**

प्रथम वर्ष – कुल अंक – 900

द्वितीय वर्ष – कुल अंक – 900

कुल – 1800